(70)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : के0सी0जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 109–दो/2009 – विरूद्ध आदेश दिनांक 25–10–2008 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 764/2005–06 अपील

उपेन्द्रमणि पुत्र रामप्रकाश मिश्र
ग्राम पटना तहसील रामपुर जिला सीधी ––आवेदक

विरूद्ध

1– महिला सुधा देवी पत्नि स्व. ज्ञानेन्द्र उर्फ ज्ञानिका प्रसाद
ग्राम कटियाझर तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी मध्य प्रदेश

2– कोशलप्रसाद (मृतक) पुत्र ठाकुरदीन

वारिस

1– जगमोहन 2. रमाकॉत 3– सूर्यप्रकाश
4– दयाशंकर 5. श्रीमान त्रिपाठी
सभी पुत्रगण स्व. कोशलप्रसाद निवासीगण
ग्राम गडहरा तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी मध्य प्रदेश

6–श्रीमती शांति पाण्डेय पुत्री कोशलप्रसाद
पत्नि चंद्रिकाप्रसाद पता पुलिस लायन के
पीछे सुभाषनगर शहडौल जिला शहडौल

7- श्रीमती मीरा पाण्डेय पुत्री स्व. कौशलप्रसाद
पत्नि शारदा पाण्डेय निवासी ग्राम मगराज
तहसील अमरपाटन जिला सतना ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 17-.8 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 764/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-10-2008 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109/110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम पटना की कुल किता 9 कुल रकबा 2.62 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में तेजाराम, महिला सुधा देवी, हरदर्शन प्रसाद के नाम समान हिस्से पर दर्ज है । भूमिस्वामी हरदर्शन पुत्र नव्द कुमार ब्राहमण की मृत्यु हो चुकी है जिनके कोई संतान नहीं है। मृतक हरदर्शन प्रसाद व्दारा अपने जीवन काल में उक्तांकित भूमि में से अपने हिस्से1/3 की भूमि रकबा 0.87 हैक्टर 1,52,000/- में पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से विकय कर दी थी एंव मौके पर कब्जा सौंप दिया था। अतः विकय पत्र के आधार पर आवेदक केता का नामांत्रण किया जाय। नायव तहसीलदार, तहसील रामपुर नैकिन ने प्रकरण कमांक 32 अ-6/ 2003-04 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनॉक 9-12-2004 पारित करके विकय पत्र के आधार पर केता

का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 43/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-4-2006 से अपील स्वीकार कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील होने पर प्र0क0 764/ 2005-06 अपील में पारित आदेश दि0 25-10-2008 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि विवादित आराजी पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 7-6-2004 से कय गई है एंव विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया गया है । राजस्व न्यायालय पंजीकृत विकय पत्र की जॉच नहीं कर सकते। इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करने में भूल की है और अपर आयुक्त ने इन तथ्यों पर ध्यान न देकर देकर निगरानी निरस्त करने में भूल की है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि मूल खातेदार की मृत्यु हो चुकी है तो उसके वारिसान को पक्षकार बनाया जाना था। मृतक खातेदार के वारिसानों को विधिवत सूचना नहीं दी गई है जबकि रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिये व्यवहार वाद कमांक 68 ए/04 स्वत्व घोषणा का चल रहा है। रजिस्ट्री में विक्रेता का अॅगूठा लगाया गया है जबकि वह हस्ताक्षर करते थे। संदेहास्पद विकयपत्र के आधार पर एकपक्षीय

नामान्तरण किया गया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/3 का भूमिस्वामी मृतक हरदर्शन प्रसाद बिना ओलाद के मरा है तथा वादग्रस्त भूमि के केता व्दारा मृतक की भूमि पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दावे में अनावेदकगण को पक्षकार बनाया गया है किन्तु नायव तहसीलदार, रामपुर नैकिन व्दारा प्रकरण कमांक 32 अ-6/ 2003-04 में अनावेदकगण को व्यक्तिगत सूचना नहीं दी है अपितु उन्होंने अनावेदकगण की सूचना चस्पीदगी से कराई है और उनके अनुपस्थित से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/3 के भूमिस्वामी मृतक हरदर्शन प्रसाद थे एंव भूमि सामिलाती खाते की होकर तेजाराम, महिला सुधा देवी, हरदर्शन प्रसाद समान हिस्से के सहखातेदार थे । तहसील न्यायालय में नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दावे में आवेदक ने इन सहखातेदारों को पक्षकार तक नहीं बनाया है तथा सहखातेदारी की भूमि होने का तथ्य भी छिपाया है । हमजा हाली विरूद्ध केरल राज्य (2006)7 SCC 416 = AIR 2006 SC 3028 का दृष्टांत है कि निर्णय कपट पर प्राप्त किया गया होने की दशा में प्रभाव शून्य है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 में व्यवस्था दी गई है कि संहिता की धारा 110(3) के अंतर्गत नामान्तरण

में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों को समन जारी किया जायेगा और नियत दिनांक पर उपस्थित रहने के सम्बन्ध में विधिवत् सूचना दी जायेगी। यह तामील व्यक्तिशः की जायेगी। विचाराधीन प्रकरण में नामान्तरण के मूल दावे के दोनों अनावेदकों पर व्यक्तिशः सूचना तामील नहीं कराई गई, अपितु चस्पीदगी से तामील कराया जाना सम्यक सूचना नहीं मानी जा सकती।

6/ नायव तहसीलदार, तहसील रामपुर नैकिन के प्रकरण कमांक 32 अ-6/ 2003-04 के अवलोकन पर पाया गया कि जब वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/3 के भूमिस्वामी मृतक हरदर्शन प्रसाद थे एंव भूमि सामिलाती खाते की होकर तेजाराम, महिला सुधा देवी, हरदर्शन प्रसाद समान हिस्से के भागीदार थे । तहसील न्यायालय में नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दावे में आवेदक ने इन सहखातेदारों को पक्षकार तक नहीं बनाया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110(3) में व्यवस्था दी गई है कि संयुक्त खाता होने की दशा में सहखातेदारों को और किसी सहखातेदार के जीवित न होने की दशा में समस्त उत्तराधिकारियों को कार्यवाही में पक्षकार बनाया जायेगा और उन पर तामील विधि अनुसार की जायेगा। एक सह खातेदार व्दारा भूमि का विकय किये जाने पर नामान्तरण कार्यवाही में अन्य सभी सहखातेदारों पर समन निर्वाहित किया जाना आवश्यक है। कोई व्यक्ति भूमि पर आधिपत्य धारण करता है उसे नामान्तरण कार्यवाही में पक्षकार बनाया जायेगा और उस पर सूचना पत्र की तामील कराई जायेगी, किन्तु नायव तहसीलदार के समक्ष आवेदक व्दारा प्रस्तुत धारा 110 के दावे में सहखातेदारों को

पक्षकार नहीं बनाया गया, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने प्रकरण कमांक 43/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-4-2006 से नायव तहसीलदार के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 764/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-10-2008 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(के0सी0जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर